



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 1575

सन् 2026

दीन मोहम्मद शेख

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राम कृष्ण मिश्रा, सुरेश चंद यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. आवेदक- **दीन मोहम्मद शेख** को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.2.2026 के आदेश के माध्यम से वर्तमान मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री बी.पी मौर्य को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 79 सन् 2025 के अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, थाना पवई, जिला आजमगढ़ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।"

3. सबसे पहले, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे डर है कि ऊपर बताए गए प्रकरण में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है; कथित घटना 2017 में हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट 8 साल बाद 2025 में दर्ज की गई है। यह भी कहा गया है कि आवेदक को झूठे प्रकरण में फँसाया गया है और उसके हस्ताक्षर पोर्टल पर मौजूद हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों पर 1,68,000 रुपये के सरकारी पैसे के गबन का आरोप है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. यह कहा जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर फैसला करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए; साथ ही, न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध मौजूद सभी सबूतों का



सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ऊपर बताई गई दलीलों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- दीन मोहम्मद शेख को दिनांक 27.3.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. इस प्रकरण को दिनांक 27.3.2026 को नए प्रकरण के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

9. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

4. इससे पहले, दिनांक 17.2.2026 के आदेश के तहत आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी। आज दायर अनुपूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्न विद्वान विचारण न्यायालय की आदेश-पत्रिका को देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदक इस न्यायालय के दिनांक 17.2.2026 के पिछले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश के अनुपालन में संबंधित न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से पेश हो रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 2017 में हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट आठ साल बाद 2025 में दर्ज की गई। आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उसके हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा 1,68,000 रुपये के सार्वजनिक धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.2.2026 के आदेश के ज़रिए आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत को अब पुष्ट किया जाता है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.2.2026 को पारित आदेश में बताई गई शर्तों पर ही विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रहेगा।

6. अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. दिनांक 17.2.2026 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला